



राजस्थान सरकार  
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी  
(SSAAT), जयपुर फोन नंबर 0141-2227725, 2227033  
(E mail : DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN)

F. No. 60 (10) RD/NREGA/LOKPAL/2020-21/III/ 4028-4494 Jaipur, Dated:- 22.11.2021

समस्त आवेदक  
राजस्थान


साक्षात्कार हेतु आमंत्रण सूचना

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजना के अन्तर्गत लोकपाल के पद के लिये  
साक्षात्कार बाबत।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि आप द्वारा आयुक्त मनरेगा योजना की विज्ञप्ति संख्या  
F. No. 60 (10) RD/NREGA/LOKPAL/2020-21/III Jaipur, दिनांक 23.12.2020 के क्रम में  
लोकपाल पद हेतु आवेदन पत्र संबंधित जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया था।

लोकपाल चयन समिति द्वारा आवेदकों के साक्षात्कार विडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से  
लिये जाने का निर्णय किया गया है, जिसका विवरण एवं इस बाबत दिशा-निर्देश संलग्न हैं।  
इस संबंध में आपको संबंधित जिला कलेक्टर/जिला परिषद कार्यालय में उपलब्ध विडियो  
कॉन्फ्रेंस कक्ष में उपस्थित रहकर संलग्न दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए निर्धारित तिथि  
एवं समय पर साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जाता है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार (2)

  
22/11/2021

(रामावतार शर्मा)  
निदेशक, (SSAAT)






राजस्थान सरकार  
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी  
(SSAAT), जयपुर फोन नंबर 0141-2227725, 2227033  
(E mail : DIR.SOI.JAJA.AUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN)

परिशिष्ट - '1'

साक्षात्कार कार्यक्रम

क्र.सं.	संभाग का नाम	जिलों के नाम एवं पात्र आवेदकों की संख्या	साक्षात्कार की तिथि	आवेदकों की संख्या
1	अजमेर	अजमेर (23), भीलवाड़ा (24), नागौर (23) एवं टोंक (07)	01.12.2021	77
2	भरतपुर	भरतपुर (11)	02.12.2021	11
	जयपुर	झुन्झुनू (29) एवं सीकर (11)		40
योग:-				51
3	जयपुर	जयपुर (21), एवं अलवर (28)	07.12.2021	49
4	जोधपुर	जोधपुर (32), बाडमेर (12), जैसलमेर (12), एवं सिरोही (16)	08.12.2021	72
5	कोटा	कोटा (17), बांरा (16), एवं बूंदी (17)	09.12.2021	50
	जोधपुर	जालोर (15) एवं पाली (14)		29
				79
6	उदयपुर	उदयपुर (26), बांसवाड़ा (07), प्रतापगढ़ (06), चित्तौड़गढ़ (03), एवं डूंगरपुर (26)	10.12.2021	68
7	बीकानेर	बीकानेर (18), चूरू (14), श्रीगंगानगर (15) एवं हनुमानगढ़ (24)	14.12.2021	71
कुल योग:-				467

  
(रामावतार शर्मा)  
निदेशक, (SSAAT)





राजस्थान सरकार  
सामाजिक लेखा परीक्षा, जवाबदेही एवं पारदर्शिता सोसायटी  
(SSAAT), जयपुर फोन नंबर 0141-2227725, 2227033  
(E mail : [DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN](mailto:DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN))

F. No. 60 (10) RD/NREGA/LOKPAL/2020-21/III

Jaipur, Dated:-

आवेदकों के लिये साक्षात्कार संबंधी दिशा-निर्देश

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत इस विभाग की विज्ञप्ति संख्या F. No. 60 (10) RD/NREGA/LOKPAL/2020-21/III Jaipur, दिनांक 23.12.2020 की पालना में आवेदकों द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्रों के क्रम में लोकपाल चयन समिति द्वारा प्रदत्त दिशा निर्देश अनुसार वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साक्षात्कार आयोजित किए जाने हैं। साक्षात्कार के विषय में संबंधित आवेदकों के लिए निम्नानुसार व्यवस्था संबंधी दिशा निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. साक्षात्कार के लिए आपको प्रेषित पत्र में अंकित साक्षात्कार कार्यक्रम में संबंधित जिले के लिए नियत तिथि और समय पर आवेदकों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से साक्षात्कार हेतु जिला कलेक्टर/जिला परिषद कार्यालय में उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंस कक्ष में अपरान्ह 3.00 बजे अपनी उपस्थिति दी जानी है। साक्षात्कार के लिए निर्धारित समय अपरान्ह 4.00 बजे पश्चात उपस्थिति देने वाले आवेदकों को साक्षात्कार में सम्मिलित नहीं किया जावेगा।
2. साक्षात्कार हेतु संभागवार तिथि/तिथियां निर्धारित की गई हैं जिसमें सम्मिलित जिलों ओर आवेदकों की संख्या संलग्न तालिका में उपलब्ध है।
3. साक्षात्कार के दौरान किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक गेजेट्स साथ में रखने की अनुमति नहीं होगी। अतः साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने वाले सभी आवेदकों को अपने मोबाइल, लेपटॉप, स्मार्ट वॉच आदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज/गेजेट्स साक्षात्कार कक्ष में संबंधित अधिकारी को जमा कराने होंगे।
4. किसी भी आवेदक को भौतिक रूप से चयन समिति के समक्ष उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है।
5. प्रत्येक वीडियो कॉन्फ्रेंस के लिए संभाग वार पृथक-पृथक लिंक सृजित होंगे जो साक्षात्कार के दो दिवस पूर्व संबंधित जिला कलेक्टर/मुख्य कार्यकारी अधिकारी को ई-मेल पर प्रेषित किये जावेंगे।
6. वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से होने वाले प्रस्तावित साक्षात्कार के लिये जिला मुख्यालयों पर उपस्थित होने वाले आवेदकों को किसी प्रकार का यात्रा भत्ता/अन्य किसी भी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा।
7. साक्षात्कार के समय किसी भी आवेदक द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये जाने है। चयन उपरान्त सम्बंधित व्यक्ति से वांछित दस्तावेजात प्राप्त कर लिये जावेंगे।
8. आवेदको को कोई कठिनाइयाँ हो तो सम्बंधित जिले के साक्षात्कार व्यवस्था सम्बंधित अधिकारियों से उनके दूरभाष पर सम्पर्क किया जा सकता है। इनकी सूचना दिनांक 26.11.2021 के पश्चात सामाजिक अंकेक्षण (SSAAT) की वेबसाइट [DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN](mailto:DIR.SOCIALAUDIT@RAJASTHAN.GOV.IN) के मुख्य पृष्ठ (Home Page) पर नरेगा लोकपाल (NREGA OMBUDSMAN) मेन्यू में "नियुक्ति आदेश" सब मेन्यू में देखा जा सकता है।

(रामावतार शर्मा)  
निदेशक, (SSAAT)